


नागरिक अधिकार पत्र

उपायुक्त कार्यालय, फरीदाबाद

जिला फरीदाबाद



ना कोई झंझट ना परेशानी, कुशल प्रशासन की यह निशानी

नागरिक अधिकार पत्र-उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद

फरीदाबाद जिला बनने से पहले गुड़गांवा जिले का भाग था। दिनांक 15-8-1979 को यह जिला अस्तित्व में आया था और तब से फरीदाबाद में उपायुक्त/जिलाधीश कार्यालय सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। यह जिला दिल्ली बदरपुर बार्डर के दक्षिण की तरफ है तथा इस जिला के बीचों-बीच चार सब डिविजनों/तहसीलों से चार लाईनो का राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग होकर जाता है तथा इस जिला के पूर्व में हरियाणा -यू०पी० बार्डर से यमुना नदी गुजरती है। इस जिले में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हैं। उद्योगों के कारण फरीदाबाद, एशिया महाद्वीप में प्रसिद्ध है तथा यहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। इस जिला के निवासी शान्तिप्रिय हैं। इस जिला के निवासियों का मुख्य धन्धा कृषि एवं व्यवसायिक है। इस जिला में 4 उप-मण्डल तथा 4 तहसील हैं। जिला के लोगों के कष्टों व शिकायतों का निपटान समय-समय पर सुचारु रूप से किया जाता है और लोगों को तहसील/सबडिविजन/जिला स्तर से सम्बन्धित कार्यों के लिये न तो अधिक दूर जाना पड़ता है और न ही कोई परेशानी उठानी पड़ती है।

उपायुक्त एवं जिलाधीश कार्यालय

दिनांक 15-8-1979 से यह जिला अस्तित्व में आया है तब से ही इस जिला में उपायुक्त/जिलाधीश का कार्यालय कार्यरत है और उपायुक्त कार्यालय द्वारा जनता के हित में विभिन्न कार्य किये जाते हैं। जनता के कार्य इस कार्यालय में नियमानुसार, सही समय पर किये जाते हैं इसके अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा जिला में स्थित अन्य कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर भी निगरानी रखना तथा लोगों को एक सुव्यवस्थित प्रशासन प्रदान करना भी प्रमुख कार्य है।

उपायुक्त कार्यालय की कार्य प्रणाली

इस कार्यालय में जनता के कार्य करने व जनता की कठिनाईयों को दूर करने हेतु भिन्न-भिन्न शाखाएं कार्यरत हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार के मामले निपटाती हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-